बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

का.आ.सं– 199

पटना, दिनांक– 08/07/2026

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में बैठक हेतु निम्न प्रकार रोस्टर का निर्धारण किया जाता है:–

(i) प्रत्येक महीने के **प्रथम एवं तृतीय सोमवार को विभागीय पदाधिकारियों** के साथ समीक्षा बैठक।

(ii) प्रत्येक महीने के **द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार को मुख्य अभियंता, पटना** उपभाग अन्तर्गत पटना में पदस्थापित सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) के साथ समीक्षा बैठक।

(iii) प्रत्येक महीने के **द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को मुख्य अभियंता, संरचना** उपभाग अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) के साथ समीक्षा बैठक।

2. बैठक हेतु निर्धारित उक्त रोस्टर के अनुसार सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता वांछित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ससमय पूर्वाह्न 10:30 बजे छठे तल पर स्थित सभा कक्ष में उपस्थित होंगे।

3. बैठक से संबंधित सभी वांछित अनुपालन प्रतिवेदन/रिपोर्ट बैठक के एक दिन पूर्व सचिव कोषांग में उपलब्ध करायेंगे।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 6222(अ)

पटना, दिनांक– 08/07/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/पटना स्थित सभी अधीक्षण अभियंता/सभी उप सचिव/पटना स्थित सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/7/26

सरकार के अपर सचिव।